जल नियामक आयोग

बदहाल किसानों की बर्बादी का कदम

■ रेहमत

हाल ही में उत्तरप्रदेश विधानसभा द्वारा पारित 'जल संसाधन प्रबंधन और नियामक आयोग' के गठन संबंधी कानून से स्पष्ट हो गया है कि अब देश में पानी इस्तेमाल भी गरीबों और किसानों के बूते से बाहर किया जा रहा है। इस कानून का उल्लंघन संज्ञेय अपराध माना गया है तथा उल्लंघन करने वाले व्यक्ति (अथवा कंपनी) पर एक लाख तक जुर्माना और एक वर्ष तक की कैद अथवा दोनों सजाए एक साथ दी जा सकती है। नियामक आयोग के अधिकारों में थोक हकदारी, उपयोग की श्रेणी तथा जल दरें निर्धारित करना शामिल है।

डेढ़ दशक पूर्व प्रारंभ हुए ढाँचागत समायोजन कार्यक्रमों के क्रियांवयन से पानी सहित जीवन के लिए जरूरी संसाधन आम जनता से दूर जा रहे हैं। ढाँचागत समायोजन कार्यक्रम लागू करवाने हेतु अंतराष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों ने अपनी लूट समर्थक नीतियाँ बनाई है। विश्व बैंक की जल संसाधन रणनीति (2002) कहती है कि जल क्षेत्र में बाजार के सिद्धांतों को लागू कर कोशिश की जाए ताकि जल अधिकार अधिक कीमत चुकाने वाले को हस्तांतरित किया जा सके। वहीं एशियाई विकास बैंक की जल नीति पानी को भगवान की देन नहीं बल्कि एक ऐसा संसाधन मानती है जिसका सटीक प्रबंधन होना चाहिए। इसलिए विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक जैसी वित्तीय एजेंसियों ने विभिन्न राज्य सरकारों को जल क्षेत्र सुधार हेतु कर्ज दिए हैं। इन्हीं कर्जों की एक शर्त जल क्षेत्र को राजनैतिक हस्तक्षेप से मुक्त करवाने हेतु नियामक व्यवस्था कायम करवाना भी होती है। उत्तर प्रदेश का जल नियामक आयोग संबंधी कानून भी विश्व बैंक के कर्ज की शर्त के तहत ही बनाया गया है।

मध्यप्रदेश सरकार भी विश्व बैंक से 39.6 करोड डॉलर का कर्ज लेकर चंबल, सिंध, बेतवा, केन और टोंस नदी कछारों में **'म.प्र. जलक्षेत्र पुनर्रचना परियोजना'** संचालित कर रही है। चूँकि यह कर्ज भी सेक्टर रिफार्म (क्षेत्र सुधार) के तहत लिया गया है अत: विश्व बैंक ने प्रदेश के जल क्षेत्र में बदलाव हेतु 14 शर्तें रखी है। इन्हीं में से एक शर्त पानी का बाजार खड़ा करने वाले **'जल नियामक आयोग'** का गठन करना भी है। इस प्रकार पानी को निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा।

विश्व बैंक ने कर्ज दस्तावेज में साफ लिख दिया है कि जलक्षेत्र पुनर्रचना परियोजना (मध्यप्रदेश) का रूपांकन निजी–सार्वजनिक भागीदारी (निजीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जुमला) लागू करने को ध्यान में रखकर किया गया है तथा

जलक्षेत्र सुधार का मुख्य आधार यही निजीकरण और बाजारीकरण होगा। परियोजना का प्रारंभिक लक्ष्य 1 मध्यम और 25 छोटी सिंचाई योजनाओं का निजीकरण करना भी तय कर दिया है। निजीकरण का प्रमुख उद्देश्य होता है मुनाफा कमाना। पानी की कीमतें अत्याधिक बढ़ने पर जिनके पास पानी खरीदने की क्षमता होगी उन्हें ही पानी मिलेगा। क्रयशक्तिविहीन लोगों को जरूरत का पानी उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी सेवा प्रदाताओं पर नहीं होगी। ऐसे में किसानों और गरीबों के जीने के हक का क्या होगा?

पानी के निजीकरण से नागरिकों का जीने के हक ही नकार दिया जाएगा। किसानों की आजीविका का आधार ही पानी है। फसल उत्पादन के लिए उन्हें बड़ी मात्रा में (बल्क) पानी की आवश्यकता होती है। यदि वे 'पूर्ण लागत वापसी' के सिद्धांत के अनुसार ऊँची दरों का भुगतान नहीं कर पाए तो प्रदेश की एक तिहाई आबादी के समक्ष आजीविका का संकट पैदा हो जाएगा, बल्कि इसका नकारात्मक प्रभाव देश की खाद्यान्न आत्मनिर्भरता पर भी पड़ेगा।

मध्यप्रदेश में भी जल नियामक आयोग के गठन के बाद प्रदेश की सीमाओं में उपलब्ध समस्त जल संसाधन (जिनमें निजी कुएँ, ट्यूबवेल तथा भूगर्भीय जल भी शामिल हैं) जल नियामक आयोग के अधीन हो जाएगा, जिसकी दरें आयोग ही तय करेगा। देश में किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी खस्ता है कि वे सिंचाई हेतु ली जा रही बिजली का बिल ही नहीं चुका पा रहे हैं। केन्द्रीय कृषि मंत्री पहले ही छोटी जोतों को अव्यवहारिक बता चुके हैं। ऐसे में यदि किसानों को उनकी खुद की पूँजी/श्रम से तैयार कुओं और ट्यूबवेलों के साथ नदी–नालों के पानी का बिल भी चुकाना पड़ा तो क्या होगा?

सूचना का अधिकार देने वाली मध्यप्रदेश सरकार जल क्षेत्र के नियामक संबंधी मामले में अत्याधिक गोपनीयता बरत रही है। आयोग के गठन संबंधी कानून का प्रारूप मार्च 2007 के भी पहले से तैयार है लेकिन इसे प्रदेशवासियों से छिपाया जा रहा है। 'मंथन अध्ययन केन्द्र' द्वारा कई बार सूचना के अधिकार के तहत इसे माँगा गया लेकिन हर बार इसे उपलब्ध करवाने से इंकार कर दिया गया। इसके विपरीत, महाराष्ट्र में जब इस प्रकार का प्रारूप कानून बना तब सरकार ने कार्यशालाओं के माध्यम से इसका प्रचार कर जनता के सुझाव माँगे थे।

वैसे दुनिया में पानी का निजीकरण कोई नई बात नहीं है। 1999 में लेटिन अमेरिकी देश बोलिविया में पानी का निजीकरण किया गया गया था। ठेकेदार कंपनी 'एगुअस डेल तुनारी' ने अनुबंध के बाद न सिर्फ तीन गुना दाम बढ़ाए बल्कि उसने कुओं और ट्यूबवेलों पर भी कब्जा कर उन पर मीटर लगा दिए थे। पानी की दरवृद्धि

से उत्पन्न जनाक्रोश ने वहाँ ग्रहयुद्ध की स्थिति निर्मित कर दी थी। बोलिविया की तरह पानी के निजीकरण के अन्य असफल प्रयासों के बाद दुनिया के कई देशों में पानी पर समुदाय के अधिकार को न्यायपूर्ण समाज की बुनियाद मानते हुए इसे संवैधानिक अधिकार घोषित किया गया। इन देशों में स्पेन, हालेण्ड (यूरोप), दक्षिण अफ्रीका, नाईजीरिया, केन्या, काँगों, इथियोपिया, जाम्बिया, उगाण्डा (अफ्रीका) इरान, फिलीपिन्स (एशिया), कोलम्बिया, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, उरूग्वे, वेनेजुएला, बोलिविया, क्यूबा और पनामा (अमेरिका महाद्वीप) शामिल है। संभव है भारत में भी निजीकरण का इतिहास दोहराते हुए बाद में इसे लोगों का अधिकार बनाया जाए। लेकिन, तब तक देश के अधिकांश किसान या तो खेती से अथवा दुनिया से पलायन कर चुके होंगें।

(रेहमत)
Sept. 2008